

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-05/2024

दिनांक 19/05//2024

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्या:वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांक:जून 04,2020 व पत्र संख्या:41/6-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 18.05.2024 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. 'श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 06 नफर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा '

दिनांक 18.05.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना बरेसर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 78/2015 धारा 147,308 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में 06 नफर अभियुक्तगण 1 .रामकेर राजभर पुत्र हरिद्वार राजभर 2.रमाकान्त राजभर पुत्र हरिद्वार राजभर 3.चन्द्रभान राजभर पुत्र रघुवर राजभर 4.आलोक रंजन उर्फ पिन्टू पुत्र शिवमुनि 5.रामाधार राजभर पुत्र रामरूप राजभर 6.बब्बन राजभर पुत्र शम्भू राजभर समस्त निवासीगण ग्राम माटा थाना बरेसर जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 308 भादवि में उपरोक्त अभियुक्तगण को 04-04 वर्ष का कारावास, धारा 147 भादवि में 01-01 वर्ष का कारावास से दण्डित किया गया।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर